

आम सूचना

सचिव उत्तराखण्ड शासन के निर्देशनुसार (Letter No. 597 / IV (2) के अनुसार -श0 वि 0-2017 -50 (सा 0) 16 दिनांक 22 मई 2017), और उत्तराखण्ड राज्य के संबंधित कानूनों के अन्तर्गत , नगर पंचायत भीमताल द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र में फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन(एफ.एस.एस.) (FSSM) सुव्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित उपनियम बनाये गये हैं। :-

उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 अनुसार
फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.) उपनियम, नगर पंचायत भीमताल, (नैनीताल)

भाग 1: उपनियम (Bylaws)

1. शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ

यह उपनियम “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.) उपनियम, 2021” कहलाएँगे। ये उपनियम नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के अधिकार-क्षेत्र में लागू होंगे। यह उपनियम शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से मान्य होंगे।

2. अधिकार

यह उपनियम निम्नलिखित कानून के प्रावधानों को कार्यान्वयन में लाने के लिए सक्षम करते हैं:

- a) उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल, 2017
- b) राष्ट्रीय नीति फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.), 2017
- c) CPHEEO मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज मैनेजमेंट, 2013
- d) मॉडल बिल्डिंग उपनियम, 2016 और अन्य लागू बिल्डिंग कोड
- e) मैनुअल स्कैवेंर्जर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013
- f) IS Code 2470 Part I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) - Code of Practice for Installation of Septic Tanks (सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए अभ्यास संहिता)
- g) केंद्रीय कानून, नियम और विनियम (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986)
- h) जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- i) उत्तराखण्ड के समस्त राज्य कानून पानी और स्वच्छता से संबंधित

3. विषय क्षेत्र

यह उपनियम “नगर पंचायत भीमताल” (नैनीताल) की प्रशासनिक सीमा के भीतर FSSM में लगे सभी हितधारकों के लिए लागू है – ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम(OSS) के स्वामी और उपयोगकर्ता, डीस्लजिंग और सेप्टज ट्रांसपोर्टेशन आपरेटर, सेप्टेज उपचार और निपटान के लिए जिम्मेदार सभी एजेंसियां, शहरी स्थानीय निकाय, सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस.एस.सी.)-समेत।

यह उपनियम “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में स्थित चाहे सार्वजनिक के निजी, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, प्रस्तावित, नियोजित या मौजूदा सभी भवनों पर लागू होंगे।

4. सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (SMC)

उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 के अनुसार, नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) एक सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (SMC) का गठन करेगा जिन में निम्नलिखित सदस्य रहेंगे :

S.No.	पद	सदस्य
1.	सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), नैनीताल	अध्यक्ष
2.	अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल)	सदस्य सचिव
3.	उत्तराखण्ड जल संस्थान के प्रतिनिधि (A.E. के पद से नीचे नहीं)	सदस्य
4.	उत्तराखण्ड पेयजल निगम के प्रतिनिधि (A.E. के पद से नीचे नहीं)	सदस्य
5.	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य
6.	स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	अन्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जा सकता है जो SMC को तकनीकी सलाह प्रदान कर सके	सदस्य

नगर पंचायत भीमताल और SMC इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा इसके अंतर्गत संचालन की निगरानी करेंगे और (non-complying actors) पर पेनलटी लगा सकेंगे। इन उपनियमों में निर्धारित कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए SMC की बैठक समय-समय पर आहूत की जाएगी। अधिकारी नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल), जो सदस्य सचिव हैं, SMC की बैठक बुलाएँगे।

SMC की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति (Monitoring Committee) द्वारा की जाएगी, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल, 2017 में उल्लिखित है।

5. ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) का निर्माण और रखरखाव

यह खंड ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) (जैसे कि सेप्टिक टैंक, गड्ढ, बायो-डाइजेस्टर आदि) के निर्माण और रखरखाव में विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा देता है।

5.1. नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में स्थित घरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों में ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के स्वामी के कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ:

5.1.1. सेप्टिक टैंक/OSS का डिजाइन और निर्माण

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिसर के शौचालयों में सोख गड्ढ के साथ सेप्टिक टैंक (septic tank with soak pit) या अन्य OSS का ठीक से निर्माण किया गया है, जैसा कि IS Code 2470 भाग I & II, 1985 (Reaffirmed 1996) और CPHEEO मैनुअल, 2013 में उल्लिखित है। (देखें अनुबंध G)
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS का समुचित कार्य हो रहा है ताकि मल या अपशिष्ट का स्राव, रिसाव, रिसाव या अन्यथा कारणों से पर्यावरण में कोई प्रदूषण न हो। इसके लिए OSS की समय-समय पर मरम्मत या पुनर्निर्माण का काम (repair or retrofitting) मालिक द्वारा किया जाएगा।
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS में छत का पानी, सतह-पानी, रन-ऑफ (run-off) या बारिश का पानी प्रवेश नहीं करेगा।
- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS से अपशिष्टों (effluents) का सुरक्षित निपटान सोख गड्ढों या सीवर नेटवर्क के माध्यम से किया जाए।

5.1.2. OSS का खाली कराना (डीस्लजिंग) (desludging)

- स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि OSS को नियमित रूप से खाली कराएँ (दो वर्ष छः माह में कम से कम एक बार या टैंक दो-तिहाई भरा हो, जो भी पहले हो)।
- स्वामी सेप्टिक टैंक या containment unit की सफाई करने से पूर्व नगर पंचायत भीमताल को सूचित करेंगे।
- जहाँ स्वामी निजी डीस्लजिंग ऑपरेटर की सेवाएँ ले रहे हैं, वे केवल उन ऑपरेटरों की सेवा लेंगे जिन के पास FSSM सेवाएँ प्रदान करने के लिए नगर पंचायत भीमताल द्वारा जारी परमिट या लाइसेंस हैं।

5.1.3. उपभोक्ता शुल्क का भुगतान

- स्वामी, द्वारा नगर पंचायत भीमताल या लाइसेंस-युक्त निजी ऑपरेटरों को FSSM सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क का उचित और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा, जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है और बाद में नगर पंचायत भीमताल द्वारा अधिसूचित किया गया है।

5.2. “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ

5.2.1. नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में स्थित सभी OSS (septic tank, pits, biodigester etc) की रजिस्ट्री

- नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) अपने अधिकार क्षेत्र में निर्मित सभी OSS का एक रजिस्टर बनाए रखेगा, जिसमें सभी विवरण होंगे जैसे कि स्वामी का नाम, GPS स्थान, OSS का प्रकार, आकार और स्थिति, खाली करने की आवृत्ति आदि जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 में उल्लिखित है। इसके लिए नगर पंचायत भीमताल सर्वेक्षण या अन्य तरीकों का उपयोग कर सकता है।
- सभी नए निर्माणों को शामिल करने के लिए OSS की रजिस्ट्री को अपडेट किया जाएगा।

5.2.2. OSS का उचित निर्माण और डिजाइन सुनिश्चित करना

- नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) अपने अधिकार-क्षेत्र में पंजीकृत नए निर्माणों को केवल तभी अनुमोदित करेगा जब OSS का निर्माण IS Code 2470 भाग I और II और CPHEEO मैनुअल में निर्धारित मानकों के अनुसार है। यदि इसका उल्लेख है, तो नगर पंचायत भीमताल दोषपूर्ण निर्माण के मालिकों को नोटिस जारी करेगा।
- नगर पंचायत भीमताल, जहाँ संभव हो, OSS को डिजाइन विनिर्देशों के अनुरूप में लाने के लिए रेट्रोफिटिंग (retrofitting) के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

5.3. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

- SMC नगर पंचायत भीमताल को समय-समय पर निगरानी करने के लिए निर्देशित करेगा यह सुनिश्चित करने के लिए कि OSS का उचित रखरखाव हो।
- SMC समय-समय पर FSSM से संबंधित सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य सेप्टेज प्रबंधन प्रोटोकॉल 2017 में उल्लिखित है।

6. मल और सेप्टेज का खाली करवाना और परिवहन

यह खंड हितधारकों के कर्तव्यों और ज़िम्मेदारियों को रेखांकित करता है ताकि नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में स्थित OSS रोकथाम इकाइयों (containment units) से मल और सेप्टेज (FSS) का उचित संग्रह/खाली कर न हो सके तथा उपचार और सुरक्षित निपटान/पुनः उपयोग के लिए, इसका निर्धारित साइटों (designated sites/treatment facility) तक सुरक्षित परिवहन हो सके।

6.1. FSS के संग्रह और परिवहन में नगर पंचायत भीमताल के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

6.1.1. डीस्लजिंग (Desludging) और सेप्टेज परिवहन वाहनों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण

- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) अपने अधिकार-क्षेत्र में उचित पंजीकरण/लाइसेंस /परमिट के बिना कोई भी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को काम करने की अनुमति नहीं देगा। इसमें निजी-स्वामित्व के साथ-साथ सरकार के वाहन भी शामिल हैं (नगर पंचायत भीमताल, जल संस्थान आदि)। इसके अलावा यह “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के बाहर से आने वाले वाहनों (दोनों, निजी और सरकारी) पर भी लागू होता है।
- नगर पंचायत भीमताल स्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों को अपने अधिकार-क्षेत्र में संचालित करने के लिए लाइसेंस /परमिट प्रदान करेगा। राज्य FSSM प्रोटोकॉल में उल्लिखित और SMC द्वारा अधिसूचित अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ऑपरेटरों को ही लाइसेंस/परमिट दिए जाएँगे (अनुबंध B देखें)।
- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के बाहर से आने वाले ऑपरेटरों को भी (दोनों, निजी और अन्य ULB, जल संस्थान आदि के स्वामित्व वाले) अपने उद्ग्रव के ULB (ULB of origin) द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना आवश्यक है, यदि उन्हें नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के भीतर संचालन की अनुमति प्राप्त करनी है। “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) ऐसे वाहनों के प्रवेश की एक लॉग-बुक (log book) बनाए रखेगा। “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में इन वाहनों के संचालन की शर्तें SMC द्वारा उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएँगी।
- नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) यह सुनिश्चित करेगा कि ऑपरेटरों के लाइसेंस समय-समय पर नवीनीकृत किए जाएं जैसा कि SMC द्वारा तय किया गया है। लाइसेंस का नवीनीकरण के लिए अनिवार्य तकनीकी, प्रशासनिक और सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। (अनुबंध B देखें)

6.1.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों की प्रसिकरण और कर्मचारियों की भर्ती

- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) यह सुनिश्चित करेगा कि अपने अधिकार-क्षेत्र में FSS के संग्रह और परिवहन के लिए डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पर्याप्त संख्या में हों, या तो नगर पंचायत भीमताल खुद वाहन प्राप्त करे या टेंडर आमंत्रित करके निजी ऑपरेटरों का चयन करें।
- नगर पंचायत भीमताल अपने वाहनों को चलाने के लिए केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त करेगा।
- यदि नगर पंचायत भीमताल द्वारा निजी ऑपरेटरों की सेवाएँ टेंडर के माध्यम से प्राप्त करी जाएँगी तो अनुबंध प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाएगा। नवीनीकरण सर्त है ऑपरेटर के निष्पादन पर और उनके स्टेट

FSSM प्रोटोकॉल में वर्णित और SMC द्वारा अधिसूचित इन वाहनों के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन पर (अनुबंध B देखें)। किया जायेगा।

6.1.3. डीस्लजिंग ऑपरेटरों की निगरानी

- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन वाहन, नगर पंचायत भीमताल से एकत्र किया FSS केवल SMC द्वारा चिन्हित स्थलों(site) / उपचार सुविधाओं (treatment facilities) पर ही निस्तारण करेंगे।
- नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) सुनिश्चित करेगा कि सभी सेप्टेज परिवहन टैंकर GPS सिस्टम से युक्त है जिससे उनकी ट्रैकिंग (tracking) की जा सकती है।
- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए जॉब-कार्ड (job card) पंजीकृत डीस्लजिंग ऑपरेटरों को प्रदान करेगा हर डिसग्लिंग ऑपरेशन को रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए (फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें)। जॉब-कार्ड की एक प्रति OSS के मालिक को सौंप दी जाएँगी, एक दूसरी प्रति निपटान स्थल पर, और तीसरी प्रति “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) कार्यालय में जमा की जाएगी। इस जॉब-कार्ड पर OSS के मालिक, डीस्लजिंग ऑपरेटर, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर और नगर पंचायत भीमताल के नोडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- नगर पंचायत भीमताल भुगतान का प्रमाण दिखाने के लिए OSS मालिकों को रसीदें प्रदान करेगा।
- नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) इन नियमों के उल्लंघन में पाए जाने वाले ऑपरेटरों पर penalty / दंड लगाएगा। (अनुबंध F देखें)
- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) किसी भी ऑपरेटर का लाइसेंस रद्द करेगा जो लाइसेंस नवीनीकृत करने में विफल रहे, या इन नियमों या मैनुअल स्कैवेंजर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का बार-बार उल्लंघन करे।

6.1.4. नगर पंचायत भीमताल की अन्य जिम्मेदारियाँ

नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) निम्नलिखित जिम्मेदारियां भी निभाएगा:

- अपने अधिकार-क्षेत्र में सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय को निर्दिष्ट अंतराल पर अथवा जब टैंक दो-तिहाई भरा हुआ हो, जो भी पहले हो।
- नगर पंचायत भीमताल की सीमा के भीतर स्थित भवनों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना और उन मालिकों या भवनों को नोटिस / जुर्माना जारी करना जो इस अधिनियम के अनुरूप नहीं हैं।
- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परमिट के लिए अपनी वेबसाइट पर और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करेगा।
- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) अपनी वेबसाइट और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर समय-समय पर लाइसेंस-प्राप्त / पंजीकृत ऑपरेटरों की सूची को प्रकाशित करेगा।
- नगर पंचायत भीमताल प्रत्येक डीस्लजिंग ऑपरेशन के बाद घरों से एकत्र किए जाने वाले फीड बैक फॉर्म प्रदान करेगा।
- नगर पंचायत भीमताल App-आधारित / फोन कॉल / SMS आधारित डीस्लजिंग सेवाओं जैसे विकल्पों की खोज कर सकता है, जो नगर पंचायत भीमताल को वास्तविक समय (real-time) के आधार पर डेटाबेस को अपडेट करने और उपभोक्ता फीड बैक (user feedback) से अवगत करने में मदद करे।
- शेड्यूल्ड डीस्लजिंग (Scheduled Desludging) - अधिनियम की धारा 5.1.2 में वर्णित समय-अवधि के अनुसार नगर पंचायत भीमताल अपने अधिकार-क्षेत्र में स्थित OSS को खाली करने के लिए मासिक कार्यक्रम (monthly schedule) विकसित कर सकता है।

6.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ

6.2.1. परमिट / लाइसेंस के लिए आवेदन और मानकों के अनुपालन

- जो भी व्यक्ति “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के अधिकार-क्षेत्र में FSS के संग्रह और परिवहन के लिए सेवाएँ प्रदान करना चाहता है, वह नगर पंचायत भीमताल से अपेक्षित लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा। (फार्मेट के लिये अनुबंध C1 देखें)
- आवेदन देने से पहले, आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उन के वाहन डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिये SMC द्वारा अधिसूचित तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताओं को पूरा

कर रहे हैं। इस में यह सुनिश्चित करना शामिल होगा कि टैंकर जल रोधी और रिसाव-रहित (water-tight and leak-proof tankers) हो, और यांत्रिक desludging उपकरण (mechanical desludging equipment) से युक्त हो (अनुबंधB देखें)। इसके अतिरिक्त केवल FSS की सुरक्षित संभालन में प्रशिक्षित और अनुबंधी व्यक्तियों को ही काम पर रखेंगे।

- ऑपरेटरों को लाइसेंस के लिये आवेदन के समय, और नवीनीकरण के समय, SMC द्वारा परिभाषित शुल्क का भुगतान करना होगा। (धारा 6.3.2देखें)
- लाइसेंस-प्राप्त/ पंजीकृत ऑपरेटर समय-समय पर अपने लाइसेंस / परमिट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करेंगे जैसा कि SMC द्वारा तय किए गए हों।

6.2.2. संचालन के मानदंडों के अनुपालन

- ऑपरेटर SMC द्वारा तय किए गए और नगर पंचायत भीमताल द्वारा अधिसूचित किए गए संचालन के सभी मानदंडों का पालन करेगा। (अनुबंधC2 देखें)
- ऑपरेटर “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) की सभी निगरानी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे जैसे कि सेप्टेज संग्रह और परिवहन टैंकरों पर जीपीएस ट्रैकिंग (GPS tracking) स्थापित करना।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनाधिकृत भूमि में नहीं डाला जायेगा।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई के समय और निपटान के समय के बीच का अंतर 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.2.3. अधिसूचित दरों के अनुसार फीस का निर्धारण

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि वे डीस्लजिंग सेवाओं के लिए SMC द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक शुल्क OSS मालिकों से नहीं लेंगे।

6.2.4. दस्तावेजों का रखरखाव

- ऑपरेटरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सेप्टेज संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) द्वारा प्रदान किए गए जॉब-कार्ड (job card)OSS के मालिक, ट्रीटमेंट यूनिट में प्लांट मैनेजर/ऑपरेटर, डीस्लजिंग ऑपरेटर, और नगर पंचायत भीमताल के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होंगे, और प्रतियाँ प्रत्येक को सौंपी जाएँगी। (फार्मेट के लिये अनुबंध D देखें)
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन पर “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) द्वारा जारी ऑपरेटर लाइसेंस की एक प्रति और मोटर वाहन पंजीकरण (motor vehicle registration)को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा।

6.2.5. श्रमिकों की सुरक्षा और सेप्टेज परिवहन के दौरान सावधानियों का पालन :

- लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर FSS के केवल यांत्रिक संग्रह (mechanical desludging) और परिवहन में संलग्न होंगे, और ‘मैनुअल स्कैवेंर्जर्स (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों) के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013’के सभी नियमों का अनुपालन करेंगे।
- ऑपरेटर सभी कर्मचारी को SMC द्वारा निर्धारित अपेक्षित सुरक्षा उपकरण (safety gear) प्रदान करेंगे।
- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि FSS संग्रह और परिवहन में लगे सभी कर्मचारी पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य जांच करवाएँ और “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के रिकॉर्ड में जमा करें।
- ऑपरेटर अपने द्वारा नियोजित, सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से सभी संबंधित व्यक्तियों का बीमा करेंगे।
- सेप्टेज के सफाई, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति, संपत्ति, वाहन या पर्यावरण को होने वाली किसी भी नुकसान के लिए लाइसेंस-युक्त डीस्लजिंग ऑपरेटर पूरी तरह से उत्तरदायी होंगे। ऑपरेटर ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसा कि “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) / अदालत द्वारा अधिसूचित है।
- FSS के परिवहन के दौरान आकस्मिक रिसाव की स्थिति में, ऑपरेटर तुरंत उसको नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई करेगा, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करेगा, और साफ-सफाई की प्रक्रियाओं को पूरा करेगा। ऑपरेटर 24 घंटे में नगर पंचायत भीमताल के संबंधित अधिकारियों को रिसाव और उसकी

उपचारात्मक कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे। इन निर्देशों का पालन नहीं करने वाले लाइसेंस-युक्त ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

6.3. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

6.3.1. सेप्टेज के संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क निर्धारित करना

- सेप्टेज संग्रह और परिवहन के लिए उपभोक्ता शुल्क डीस्लजिंग संचालन के ओ.एम संचालन व रखरखाव की व्यय आवश्यकता (Operation & Maintenance cost) पूरा करने के लिए प्रयुक्त होगा। SMC यह सुनिश्चित करेगा कि उपभोक्ता शुल्क न्यूनतम रखा जाए। सभी दरों का निर्धारण हितधारकों के साथ उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता (OSS के स्वामी) पर कोई अनुचित बोझ नहीं है या ऑपरेटरों या uxj iapk; r Hkherky को कोई अनुचित नुकसान नहीं होगा, और FSSM गतिविधियों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
- SMC नगर पंचायत भीमताल को निर्देश दे सकता है कि उपभोक्ता शुल्क को संपत्ति कर (property tax) में शामिल करें।
- SMC यह भी निर्धारित करेगा कि उपयोगकर्ताओं से एकत्र उपयोगकर्ता शुल्क “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) (सुविधा शुल्क), जलसंस्थान संचालन व रखरखाव (O & M शुल्क) और सेप्टेज ट्रांसपोर्टर (सेवा शुल्क) के बीच कैसे साझा किया जाएगा।
- SMC संबंधित हितधारकों की उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर इन दरों को संशोधित करेगा और उनको सूचित करेंगे।

6.3.2. लाइसेंसिंग शुल्क को निर्धारित करना

- लाइसेंस देने के लिए आवेदन के प्रसंस्करण के लिए SMC एक मामूली आवेदन शुल्क निर्धारित करेगा। शुल्क का भुगतान चेक (cheque) या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जा सकता है जो अधिशासी अधिकारी “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) के नाम पर निम्नानुसार होगा:
- डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन पंजीकरण शुल्क (एक वर्ष के लिए):-

क्रम संख्या	मद	निर्धारित शुल्क/वाहन
अ.	प्रारंभिक पंजीकरण शुल्क	₹ 2000.00
ब.	पंजीकरण के नवीकरण के लिए शुल्क	₹ 1500.00

नोट :-प्रारंभिक पंजीकरण के पश्चात प्रति वर्ष डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन का पंजीकरण नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा अन्यथा की दशा में प्रारंभिक पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।

शुल्क संशोधन के अधीन होंगे (अवधि और दरें SMC द्वारा तय की जाएँगी) सभी दरें उचित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से SMC द्वारा तय की जाएँगी और नगर पंचायत भीमताल द्वारा अधिसूचित की जाएँगी।

6.3.3. निगरानी की गतिविधियाँ

- SMC, आवश्यकता के अनुसार, सेप्टेज परिवहन वाहनों के लिए प्रदर्शन मानकों (performance standards) को जारी करेगा।
- SMC नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में चलने वाले सेप्टेज परिवहन वाहनों के आवधिक निरीक्षण के लिए ज़िम्मेदार होगा कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं।
- यदि ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन पाया जाता है, तो SMC नगर पंचायत भीमताल को सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश देगा।
- SMC कोई भी ऑपरेटर द्वारा उल्लंघन के लिए दंड को परिभाषित करेगा। (अनुबंधFदेखें)

6.3.4. शिकायत निवारण

- SMC FSSM सेवाओं से संबंधित शिकायतें OSS के मालिकों, डीस्लजिंग ऑपरेटरों और अन्य संबंधित व्यक्तियों से स्वीकार करेगी। यदि आवश्यक हो, SMC अपीलीय निकाय (Appellate Body) या शिकायत निवारण क्रियाविधि (Grievance Redressal Mechanism) बना सकते हैं।

7. मल और सेप्टेज (FSS) का उपचार और पुनः उपयोग/निपटान

7.1. SMC के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :

7.1.1. उपचार और निपटान स्थल को चिन्हित करना

- SMC नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) से 20-25 कि.मी.के भीतर लाइसेंसधारी सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों द्वारा FSS के निपटान के लिए स्थान / उपचार केन्द्र को चिन्हित करेगा और उसको अधिसूचित करेगा।
- CPHEEO की Draft Advisory on Land Application of Faecal Sludge, 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार, जहाँ उपचार की सुविधा (STP/ FSTP) उपलब्ध नहीं है तथा अस्थायी उपाय के रूप में, SMC FSS की वैज्ञानिक लैंड एप्लिकेशन (scientific land application) को अधिसूचित कर सकती है।

7.2. डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटरों के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ

- ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) से एकत्र किया गया FSS, केवल SMC द्वारा अधिसूचित साइट या उपचार केन्द्र में निपटाया जाएगा।
- डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट-युक्त FSS (FSS containing industrial waste) का परिवहन या निपटान नहीं किया जाएगा।

7.3. उपचार केन्द्र एजेंसी के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :

- उपचार केन्द्र ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेगा कि निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर के पास “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) द्वारा जारी वैध लाइसेंस या परमिट है।
- उपचार केन्द्र के प्रबंधक (plant manager) “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) द्वारा जारी किए गए FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान के रिकॉर्ड (job card) पर हस्ताक्षर करेंगे जो निपटान के समय डीस्लजिंग ऑपरेटर द्वारा उत्पादित किया जाएगा।
- उपचार केन्द्र के संचालक FSS के निपटान के लिए टिप्पिंग शुल्क (tipping fee) के लिए रसीद प्रदान करेंगे।
- उपचार केन्द्र सेप्टेज के उपचार के लिए उपयुक्त तकनीक अपनाएंगी। इसके अलावा, उपचार के बाद निस्तारण किया स्लज और अपशिष्ट जल (sludge and wastewater) को निस्तारित करने के लियेकेंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मानदंडों का पालन करना चाहिए। समय-समय पर उपचारित अपशिष्टों का परीक्षण करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे डिस्चार्ज मानकों (discharge criteria) के अनुरूप हैं।
- उपचार केन्द्र अंतिम उत्पाद (उपचारित अपशिष्ट जल और स्लज सहित) का अधिकतम पुनः उपयोग, मानकों और मानदंडों के अनुसार, सुनिश्चित करेगा। उपचारित अपशिष्ट जल का उद्योगों, विजली संयंत्र, सिंचाई और बागवानी उद्देश्य से पुनः उपयोग किया जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल को विभिन्न पुनः उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही नदी / जल में डाला जाएगा।
- FSS के निपटान के लिए असाधारण परिस्थितियाँ : यदि उपचार केन्द्र के अधिक भार (overloading) या FSS की अवांछनीय गुणवत्ता (undesirable quality) के कारण उपचार केन्द्र FSS को स्वीकार करने में असमर्थ है, उपचार केन्द्र संचालक को सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को अस्वीकृति का कारण संबंधित कर्मियों के हस्ताक्षर के साथ लिखित में देना होगा। इस स्थिति में, सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर द्वारा सेप्टेज को SMC द्वारा निर्दिष्ट अन्य स्थान पर निपटान करना होगा।

7.4. नगर पंचायत भीमताल के कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ :

- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, उत्तराखण्ड जल संस्थान और उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य एजेंसी की सहायता से, मौजूदा या आगामी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) में फीकल स्लज और सेप्टेज के सह-उपचार (co-treatment) की क्षमता की पहचान कर सकते हैं, और वैज्ञानिक तरीके से STP परिसर में सेप्टेज के उपचार और निपटान के लिए आवश्यक आधारिक संरचना तैयार कर सकते हैं।
- “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) उपचारित FSS के पुनः उपयोग की संभावनाओं का पता लगाएगा। खाद के रूप में फिर से उपयोग के लिए, इसे किसानों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा।

8. IEC गतिविधियाँ

नगर पंचायत भीमताल FSSM के बारे में विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिये समय-समय पर निम्नलिखित IEC और क्षमता निर्माण (capacity building) गतिविधियों का कार्य करेगा:

- OSS मालिकों, राजमिस्त्री आदि को वैज्ञानिक रूप से OSS का डिजाइन, निर्माण तकनीक, इसके आकार आदि के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए IEC को बढ़ावा देना।
- FSSM में लगे कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए SOP (MOHUA 2018) के आधार पर सभी डीस्लजिंग ऑपरेटरों को नियमित प्रशिक्षण प्रदान करना।

भाग 2: अनुबंध (Annexures)

I. अनुबंध A1 - परिभाषाएं

सेप्टेज प्रबंधन में मूल परिभाषा के लिए निम्नलिखित व्याख्याएं प्रदान की गई हैं:

फीकल स्लज - यह गड्ढे शौचालय, सेप्टिक टैंक, एक्सा प्राइवेट और ड्राई टॉयलेट जैसे ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम (OSS) के तल पर जमा हुआ पदार्थ है, जो कच्चा है या आंशिक रूप से पचा हुआ है, और घोल या अर्धनिर्मित रूप में होता है।

सेप्टेज - सेप्टिक टैंक, से सपूल, या इस तरह के ऑनसाइट उपचार सुविधा से पंप की जाने वाली तरल और ठोस (मैल, स्लज और ग्रीस) पदार्थ जब यह समय के साथ जमा हो जाता है। इसमें कई रोग पैदा करने वाले जीव के साथ ग्रीस, ग्रिट, बाल और मलबे के संदूषण होते हैं।

एफ्लुएंट (effluent) - सेप्टिक टैंक से सतह पर तैरने वाला तरल निर्वहन। इसे नालियों और सीवरों के नेटवर्क में एकत्र किया जा सकता है और उचित रूप से डिजाइन किए गए उपचार केन्द्र में उपचार किया जा सकता है।

ऑन साइटसैनिटेशन सिस्टम (OSS) - स्वच्छता प्रणाली जहां मल और अपशिष्ट जल एकत्र किया जाता है और उसी स्थान पर संग्रहीत या उपचारित किया जाता है। गड्ढे शौचालय और सेप्टिक टैंक इसके उदाहरण हैं।

सेप्टिक टैंक - एक भूमिगत टैंक जो उपचार ठोस पदार्थों के अवसादन (sedimentation) और अवायवीय पाचन (anaerobic digestion) के माध्यम से करता है। अपशिष्ट को सोखता गड्ढों या छोटे बोर के सीवरों में डाला जा सकता है। सेप्टिक टैंक के तल पर जमा होने वाले स्लज को समय समय पर खाली करने और उपचारित करने की आवश्यकता होती है (जब यह निर्धारित गहराई तक पहुंच जाता है या निश्चित डीस्लजिंग आवृत्ति (desludging frequency) पर)।

डीस्लजिंग (Desludging) - सेप्टिक / इम्हॉफ टैंक, इंटरसेप्टर टैंक या अवसादन टैंक जैसे उपचार टैंकों से स्लज/कीचड़ या जमा हुए ठोस पदार्थ को निकालना।

सीवेज - शौचालय से निर्वहन किया गया अपशिष्ट जल जिस में मानव शरीर के अपशिष्ट पदार्थ (मल और मूत्र आदि), भंग या असंगत, होते हैं। सेप्टिक टैंक या इस तरह की किसी भी सुविधा से निकलने वाली अपशिष्ट भी सीवेज है।

सीवरेज सिस्टम - सीवेज के संग्रह के लिए भूमिगत नाली को सीवर कहा जाता है। सीवरेज सिस्टम सीवर के नेटवर्क को कहते हैं जो प्रत्येक संपत्ति से उत्पन्न सीवेज को सीवेज पम्पिंग स्टेशन तक ले जाता है, जहां से इसे उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पंप किया जाएगा।

उपचार (treatment) - यह निर्दिष्ट सुविधाओं में सेप्टेज के आगे के प्रसंस्करण को संदर्भित करता है जिससे इस का पुनः उपयोग या सुरक्षित निपटान किया सकता है।

सह-उपचार (co-treatment) - STP पर फीकल स्लज और सेप्टेज (FSS) का सह-उपचार एक उपचार प्रक्रिया है जिसमें STP FSS को प्राप्त करता है, इसका पूर्व-उपचार करता है, और उचित प्रक्रिया इकाइयों (process units) में वितरित करता है।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहन (Septage Transportation Vehicles) - वैक्यूम पंपों से युक्त वाटर-टाइट, लीक-प्रूफ टैंकर जो OSS से FSS के सुरक्षित संग्रह, इसके सुरक्षित परिवहन और निर्दिष्ट सेप्टेज उपचार सुविधाओं में इसके निपटान के लिए उपयोग किया जाता है।

सेप्टेज मैनेजमेंट सेल (एस. एम. सी) (SMC) . नगर पंचायत भीमताल स्तरपर FSSM गतिविधियों की निगरानी के लिए गठित निकाय जिसमें सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM), अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि और अन्य तकनीकी सलाहकार शामिल हैं।

II. अनुबंध A2 - लघुरूप

FSS - Faecal Sludge and Septage

FSSM - Faecal Sludge and Septage Management

FSTP - Faecal Sludge Treatment Plant

OSS - Onsite Sanitation Systems

SMC - Septage Management Cell

STP - Sewage Treatment Plant

ULB - Urban Local Body

III. अनुबंध B - डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन ऑपरेटर को लाइसेंस प्रदान करने के लिए नियम और शर्तें(तकनीकी, प्रशासनिक, सुरक्षा और अन्य आवश्यकताएं):

सभी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन परिचालक, निजी या नगर पंचायत भीमताल के स्वामित्व वाले, सेप्टेज के सुरक्षित संग्रहण और परिवहन के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तों को पूरा करेंगे। ये शर्तें नगर पंचायत भीमताल द्वारा डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन लाइसेंस रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा और उल्लंघन करने वाला ऑपरेटर निर्धारित दंड का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए अनिवार्य शर्तें		
तकनीकी आवश्यकताएं	हाँ	नहीं
OSS और मैनहोल का पता लगाने और मैनहोल खोलने के लिए बेलचा, pry बार, स्कूड्राइवर्स और अन्य हाथ उपकरण		
FSS पंपिंग और OSS में पानी मिलाने के लिए होज़ (Hose)		
टैंकर रिसाव-प्रूफ, गंध-प्रूफ और स्पिल-प्रूफ (leak-proof, odour-proof and spill-proof) है और उचित सक्षण और डिस्चार्ज उपकरण से युक्त है।		
टैंकर नगर पंचायत भीमताल द्वारा ट्रैकिंग और निगरानी के लिए GPS से युक्त है।		
किसी भी औद्योगिक अपशिष्ट (industrial waste) के परिवहन के लिए टैंकर का उपयोग नहीं किया जाता है।		
प्रशासनिक आवश्यकताएँ	हाँ	नहीं

वाहन के पास मोटर वाहन विभाग से पंजीकरण प्रमाण पत्र है।		
वाहन के पास प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र है।		
वाहन के सभी नामित ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हैं।		
डीस्लजिंग और सेटेज परिवहन के लिए नियुक्त सभी कर्मचारियों के पास पंजीकृत चिकित्सक या सरकारी अस्पताल से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (health certificate) हैं।		
डीस्लजिंग और सेटेज परिवहन वाहन को नीला रंग दिया गया है जिस पर सफेद रंग में 'SEPTIC TANK WASTE' अंग्रेजी में और 'मल कुंड अपशिष्ट' हिंदी में लिखा है और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।		
सुरक्षा आवश्यकताएँ	हाँ	नहीं
सभी कर्मचारी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (personal protective gear) से लैस हैं जैसे कि हार्ड हैट (hard hat) और कपड़े जो परावर्तक और रासायनिक-स्प्लैश प्रतिरोधक (reflective and chemical splash resistant) हैं।		
फेसमास्क / रेस्पिरेटर जो धूल, धुएं, सूक्ष्म जीवों आदि से बचाता है।		
सुरक्षात्मक हाथ दस्ताने, जूते और सुरक्षा चश्मे (glove, boot, safety goggles)।		
आपातकालीन प्राथमिक चिकित्साकिट (first aid kit)।		
डिसइफेक्टेट और स्पिल्ड सामग्रियों को इकट्ठा करने और साफ करने के लिए बैग।		
अन्य सुरक्षा गियर जो लागू है।		
अन्य आवश्यकताएँ	हाँ	नहीं
सभी कर्मचारियों / श्रमिकों को समय-समय पर प्रशिक्षण (वर्ष में कम से कम एक बार) प्रदान किया जाना है (उपकरण के उचित उपयोग, स्लज के सुरक्षित संग्रह, परिवहन और निपटान का संचालन, और प्राथमिक चिकित्सा पर)।		
सरकारी अस्पताल में कर्मचारियों की आवधिक स्वास्थ्य जांच (वर्ष में कम से कम एक बार) की गई है और सेटेज के संग्रह, परिवहन और निपटान में लगे सभी कर्मचारियों के फिटनेस प्रमाण पत्र (fitness certificate) प्रस्तुत की गई।		

IV. अनुबंधC1 - "नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में सेटेज संग्रह, परिवहन और निपटान की लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र

Application form for License to Collect, Transport and Dispose FSS in __Name Of ULB__

1	Name(s) of the applicant (Mr./Ms.): _____			Self Attested Recent Passport Size Photograph			
2	Nationality: (Indian/ Other): _____						
3	Address of correspondence: _____						
4	Address of Head Office or Registered Office: _____						
5	Contact No. :	(O): _____	(M): _____				
6	Email ID: _____						
7	Details of Vehicles						
	Registration no of Vehicles	Type of Vehicle	Model No.	Tank Capacity (litres)	GPS Details	Insurance Valid Upto	Pollution Certificate valid upto
i							
ii							
iii							
iv							
8	Fitness Certificate of Vehicles Valid upto:						
	(i) _____		(ii) _____				
	(iii) _____		(iv) _____				
9	List of attached documents (self attested):						
	Identity Proof		Registration certificates				
	Pollution certificates		Address Proof				
	Fitness Certificate		Driving License				
	Certificate of insurance and policy schedules						

सेप्टेज परिवहन वाहन का मालिक नोटरी कृत रु.10 ई-स्टांप पर अपने कर्मचारियों की संख्या तथा उनके नाम, पिता का नाम, पता और शैक्षिक योग्यता का विवरण, उनके ड्राइविंग लाइसेंस के प्रति के साथ देंगे।

पंजीकरण शुल्क का भुगतान CASH / D.D.No. _____ के माध्यम से किया गया है।
दिनांक: _____ बैंक का नाम: _____

मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान में सत्य है। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मैंने 'फ़ीफ़िकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.) उपनियम नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल), 2021' पढ़ा और समझा है। मैं सहमत हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो लाइसेंस के लिए प्रस्तुत किया गया मेरा/हमारा आवेदन किसी भी समय रद्द किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी।

दिनांक: _____

संलग्न दस्तावेज की संख्या: _____

आवेदकों के हस्ताक्षर:

v. अनुबंध C2 - "नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) द्वारा जारी डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन के लिये लाइसेंस / पंजीकरण

ULB LOGO

Municipal Corporation / Municipality / Town Panchayat of
____Name of ULB____

LICENSE

In accordance with all the terms and conditions of the By-laws/ Regulations and any amendments made there under, Municipalities act rules, the special licence conditions accompanying this licence and applicable rules and laws of Government of Uttarakhand, the permission is hereby granted to:

License Holder's Name:

Address of Head/Regd Office:

For the collection, transportation and disposal (at designated sites/ STPs) of faecal sludge and septage from onsite containments in ____Name of ULB____.

Photo

Licence No. :

Issuing Authority:

Effective Date:

Valid upto:

Details of Vehicle:

This license shall be subject to the compliance by the license holder of the conditions stated overleaf.

Signature and Seal of Issuing Authority

संचालनकेनियमऔरशर्तें –

- लाइसेंसधारी 'फ़िकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (एफ.एस.एस.) उपनियम नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल), 2021' के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।
- लाइसेंसधारी सभी गतिविधियों को इस तरह निष्पादित करेगा ताकि नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) / SMC द्वारा जारी किए गए मानकों को प्राप्त कर सकें।
- लाइसेंसधारी सभी स्थानीय विधानों का अनुपालन करेगा, जो इस लाइसेंस के तहत की जा रही गतिविधियों के लिए समय-समय पर लागू हो सकते हैं।
- लाइसेंसधारी निर्दिष्ट वाहनों को अच्छी और व्यावहारिक स्थिति में बनाए रखेगा ताकि किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके।
- लाइसेंसधारी केवल प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करेगा और ऐसे सभी कर्मियों को सुरक्षात्मक गियर प्रदान करेगा। कर्मियों को एक ऑनसाइट रोकथाम इकाई (onsite containment unit) में प्रवेश करने और मैन्युअल स्कैवेंजिंग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। असाधारण स्थितियों में, यह केवल अपेक्षित सावधानियों, सुरक्षा उपकरणों और नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) की अनुमति के साथ किया जा सकता है।
- यह लाइसेंस किसी भी अन्य सामग्री या तरल पदार्थ या किसी भी प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट के संग्रह और परिवहन के लिए मान्य नहीं है।
- नगर पंचायत भीमताल /इस्मुइंग अथॉरिटी / SMC इस लाइसेंस की शर्तों को बदलने या इस लाइसेंस की वैधता के दौरान समय-समय पर आगे की शर्तों को लागू करने का अधिकार रखता है।

8. लाइसेंसधारी ऑपरेटर को नगर पंचायत भीमताल द्वारा निर्देशित सेप्टेज के संग्रह, परिवहन और निपटान की पर्याप्ति और सही रिकॉर्ड बनाए रखना है।
9. लाइसेंसधारी “नगर पंचायत भीमताल” (नैनीताल) की सभी निगरानी आवश्यकताओं का पालन करेंगे जैसे कि टैकरों की जीपीएस ट्रैकिंग (GPS Tracking) स्थापित करना। उसके एक्सेस राइट्स (access rights) अधिशासी अधिकारी “नगर पंचायत भीमताल” (नैनीताल) या नगर पंचायत भीमताल द्वारा अधिसूचित एजेंसी को दिए जाएंगे ताकि वाहन को ट्रैक (track) किया जा सके।
10. लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को केवल उन उपचार स्थलों पर ही ले जाया जाएगा जो नगर पंचायत भीमताल / SMC द्वारा निर्दिष्ट हैं।
11. FSS का परिवहन, सुरक्षा और दक्षता के लिए और व्यस्त सड़कों और पीक ट्रैफिक से बचने के लिए, पूर्व-निर्धारित मार्गों द्वारा किया जाएगा।
12. लाइसेंसधारी ऑपरेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि एकत्र किए गए सेप्टेज को किसी भी जल निकाय या किसी भी अनधिकृत भूमि में नहीं डाला जाए।
13. लाइसेंसधारी लाइसेंस-प्राप्त गतिविधियों के लिए इन उपनियमों के अंतर्गत भाग -2 के बिंदु VI (अनुबंध - D) के अनुसार शुल्क लगाएगा।

VII. अनुबंध D –“नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में FSS के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड:

नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में फिकल स्लज और सेप्टेज (FSS) के संग्रह, परिवहन और निपटान का रिकॉर्ड			
दिनांक:	समय:		
1. ऑनसाइट सैनिटेशन सिस्टम(OSS)के स्वामी का विवरण			
नाम:	पता:		
संपर्क नंबर:	स्थापना का प्रकार:		
2. OSS सिस्टम का विवरण			
निर्माण का वर्ष:	पिछली डी स्लजिंग (दिनांक):		
आउटलेट(outlet) मौजूद है(हाँ / नहीं):	यदि हाँ, तो इस से जुड़ा:		
कन्टैनमेंट (containment) का आकार:	परत(हाँ / नहीं):	दीवारें: तल:	
कथों की संख्या:	प्रत्येक बाफिल वाल (baffle wall) में छिद्र की संख्या:		
आयाम (मीटरमें)	लंबाई:	चौड़ाई:	
	व्यास:	गहराई:	
GPS को ऑडिनेट	अक्षांश(Latitude):	देशांतर(Longitude):	
संपत्ति के भीतर कन्टैनमेंट का स्थान:			
3. डीस्लजिंग (Desludging)			
FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में):	डीस्लजिंग में समय (घंटे में):		
यात्रा की लंबाई(कि.मी.में):	आने-जाने में समय (घंटे में):		
4. डीस्लजिंग सेवा प्रदाता का विवरण			
ऑपरेटर का नाम:	वाहन पंजीकरण नंबर:	नगर पंचायत भीमताल लाइसेंस नंबर:	
5. हस्ताक्षर			
ज्यूटी पर कर्मचारी:	ऑपरेटर:	OSS स्वामी:	
6. निर्दिष्ट साइट/उपचार केंद्र पर निपटान			
समय (hh:mm):	FSS की मात्रा (क्यूबिक मीटर में):		
सेप्टेज परिवहन कर्मचारियों का नाम:	STP / FSTP ऑपरेटर का नाम:		
7. हस्ताक्षर			
ज्यूटी पर सेप्टेज परिवहन	वाहन मालिक:	STP/FSTP ऑपरेटर:	नगर पंचायत भीमताल

कर्मचारी:			अधिकारी:
-----------	--	--	----------

VII. अनुबंध E – “नगर पंचायत भीमताल (नैनीताल) में डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन सेवाओं के लिये उपभोक्ता शुल्क की सूची

S. No.	वर्ग	रुपये में शुल्क (प्रति चक्र 3000 लीटर तक)	सेप्टिक टैंक को खाली करने के लिए अंतराल
1.	Kuccha house/Hut	1000	
2.	All other house (Pucca House)	3500	
3.	Shop	3000	
4.	All govt./Private offices	3500	
5.	Bank	3500	
6.	Community Toilet/Public Toilet	3000	
7.	Restaurant	3000	
8.	Hotel/Guest House 01 to 10 Rooms	3500	
9.	Hotel Guest House 11 to 20 Rooms	4000	
10.	Hotel/Guest House above 20 Rooms	5000	
11.	Dharamshala 01 to 25 Rooms	3500	
12.	Dharamshala above 25 Rooms	5000	
13.	3-Star Hotel	4000	
14.	5-Star Hotel	5000	
15.	Govt. school/college (up to 1000 students)	3000	
16.	Govt. school/college (above 1000 students)	3500	
17.	Private school/college (up to 1000 students)	3000	
18.	Private school/college (up to 1000 students)	3500	
19.	2-wheeler vehicle showroom	3000	
20.	4-wheeler vehicle showroom	3500	
21.	Multiplex	3500	
22.	Hostel 01 to 10 Rooms	3000	
23.	Hostel 11 to 20 Rooms	3500	
24.	Hostel 21 to 50 Rooms	4000	
25.	Hostel above 50 Rooms	5000	
26.	Marriage hall/Banquet hall	4000	
27.	Bar	3500	
28.	Govt. Hospital (upto 20 Beds)	3000	
29.	Govt. Hospital (above 20 Beds)	3500	
30.	Nursing home/Clinic (upto 20 Beds)	3000	
31.	Nursing home/Clinic (above 20 Beds)	3500	
32.	Pathological lab	3000	
33.	Private Hospital upto 20 beds	3500	
34.	Private Hospital 21-50 beds	4000	
35.	Private Hospital above 50 beds	5000	
36.	Rice mill/Other mill	3500	
37.	Any Industry in SIDCUL Area	4000	
38.	Any Industry outside SIDCUL Area	3500	
39.	ANY OTHER TYPE	3500	दो वर्ष 6 माह में कम से कम एक बार या टैंक दो-तिहाई भरा हो, जो भी पहले हो।

VIII. अनुबंध F – Fines and Penalty¹

S. No.	प्रकार	सांकेतिक जुर्माना (Rs. में)	कोई अन्य दंडात्मक कार्रवाई
1.	ताली / सङ्क / खुले क्षेत्र में अपशिष्ट जल का सीधा या असुरक्षित निर्वहन	1000	
1.1.	दूसरी बार उल्लंघन	2000	
1.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000	
2.	OSS का अवैज्ञानिक डिजाइन और निर्माण	1000	
2.1.	दूसरी बार उल्लंघन	2000	
2.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000	
3.	बिना ULB से पंजीकरण के डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन	1000	
3.1.	दूसरी बार उल्लंघन	5000	
3.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	वाहन का पंजीकरण निरस्त करने हेतु आर० टी० ओ० को संस्तुति/ 3 माह के लिए परमिट निरस्त करना	
4.	ट्रैफिक नियमों में अनुशंसित वैध प्रमाणीकरण के बिना डीस्लजिंग और सेप्टेज परिवहन वाहनों का संचालन	2000	
4.1.	दूसरी बार उल्लंघन	3000	
4.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000	
5.	आकस्मिक रिसाव को नियंत्रित करने में गैर-अनुपालन	1000	
5.1.	दूसरी बार उल्लंघन	2000	
5.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	5000	
6.	FSTP / STP से अनुपचारित FSS का निर्वहन	3000	
6.1.	दूसरी बार उल्लंघन	5000	
7.	(ULB / SMC) द्वारा सूचित किए गए स्थानों के अलावा अन्य स्थानों पर अनुपचारित FSS का निर्वहन	3500	
7.1.	दूसरी बार उल्लंघन	5000	
7.2.	तीसरी बार उल्लंघन और आगे	सम्बंधित डिस्लजिंग और सेप्टेज वाहन का पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा	

I. अनुबंध G – ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई (Onsite Sanitation Containment Unit) का निर्माण विवरण

यह अनुबंध एक साधारण सेप्टिक टैंक के डिजाइन और निर्माण के विवरण की समझ देता है, जो कि फीकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) में उपयोग किए जाने वाले कई प्रकार के ऑनसाइट स्वच्छता रोकथाम इकाई में से एक है।

यहां दिए गए विवरण गृह और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार (MOHUA) और केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (CPHEEO) द्वारा “मैनुअल ऑन सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम्स”, 2013 से तैयार किए गए हैं (<http://cpheeo.gov.in/cms/manual-on-sewage-and-sewage-treatment.php>)

¹ उचित प्रक्रिया से सेप्टेज मैनेजमेंट सेल द्वारा निर्णय लिया जाना है और यूप्लबी द्वारा अधिसूचित किया जाना है।

इस मैनुअल के भाग A - अध्याय 9 का शीर्षक 'ऑन-साइट सैनिटेशन' – सेप्टिक टैंक के निर्माण, संचालन और रखरखाव के विवरण के लिए संदर्भित किया जा सकता है।

(http://cpheeo.gov.in/upload/uploadfiles/files/engineering_chapter9.pdf)

i. सेप्टिक टैंक क्या है?

सेप्टिक टैंक एक संयुक्त अवसादन और पाचन टैंक(combined sedimentation and digestion tank) है जहां सीवेज एक से दो दिनों के लिए रोका जाता है। यहां, निलंबित ठोस टैंक के नीचे रुक जाते हैं और एनारोबिक पाचन से गुजरते हैं। यह स्लज की मात्रा और जैव-निष्ठीकरणीय कार्बनिक पदार्थों में कमी के साथ-साथ कार्बनडाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसों की रिहाई का कारण बनता है।

सेप्टिक टैंक से बहने वाले अपशिष्ट जल को आगे के उपचार की आवश्यकता होती है, इसलिये इसका एक उचित सीवरेज सिस्टम में निपटान किया जाना चाहिए।

सेप्टिक टैंक केवल व्यक्तिगत घरों और छोटे समुदायों और संस्थानों के लिए अनुशंसित हैं, जिनकी आवादी 300 से अधिक नहीं है।

ii. सेप्टिक टैंक का डिजाइन

सेप्टिक टैंक को सही तकनीकि में डिजाइन किया जाना चाहिए, और उचित इनलेट और आउटलेट की व्यवस्था होनी चाहिए। वे आमतौर पर आकार में आयताकार होते हैं और या तो एक सिंगल टैंक या एक डबलटैंक हो सकते हैं। जहां डबल टैंक होता है, पहला कंपार्टमेंट आमतौर पर दूसरे के आकार से दो गुना होता है। तरल की गहराई 1-2 मीटर है और लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 2-3 से 1. है (चित्र A1 देखें)

सेप्टिक टैंक का मुख्य उद्देश्य यह है कि टॉयलेट अपशिष्ट का ठोस हिस्सा तल पर बस जाए और सतह पर मैल (scum) जमा हो जाए। इन दो परतों (स्लज और मैल, sludge and scum) के बीच पर्याप्त अंतर होना चाहिए ताकि केवल सीवेज बहता है। इसलिए, सेप्टिक टैंक को टॉयलेट अपशिष्ट के लिए स्थिर स्थिति (stilling conditions) प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि निलंबित ठोस वस्तु (suspended solids) को व्यवस्थित किया जा सके।

स्लज और मैल के संचय के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करके, टॉयलेट अपशिष्ट सेप्टिक को 24 से 48 घंटे का अवधारण समय के लिए टैंक का डिजाइन किया जाना चाहिए।

सेप्टिक टैंक को नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए (1-3 वर्षों में एक बार)।

व्यक्तिगत घरों (20 उपयोगकर्ताओं तक) और आवास कालोनियों (300 उपयोगकर्ताओं तक) के लिए सेप्टिक टैंकों के अनुशंसित आकार क्रमशः टेबल A-1 और A-2 में नीचे दिए गए हैं।

टेबल A-1: 20 उपयोगकर्ताओं तक सेप्टिक टैंक के अनुशंसित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चौड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
5	1.5	0.75	1.0	1.05
10	2.0	0.90	1.0	1.40
15	2.0	0.90	1.3	2.00
20	2.0	1.10	1.3	1.80

नोट:

- a) यहां सिफारिश की गई क्षमताएं इस धारणा पर हैं कि सेप्टिक टैंक में केवल शौचालय अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। अन्य सभी अपशिष्ट जैसे कि रसोई का कचरा पानी, नहाने का पानी, सिंक से पानी का निकास, आदि को सीधे सीवेज सिस्टम में डाला जाएगा।
- b) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm) का एक फ्रीबोर्ड(freeboard) शामिल होना चाहिए।

- c) सेप्टिक टैंक का आकार IS:2470 (part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।

Table A- 2: 300 उपयोगकर्ताओं तक की आवासीय कॉलोनी के लिए सेप्टिक टैंक का अनुशासित आकार

उपयोगकर्ताओं की संख्या	लंबाई (m)	चौड़ाई (m)	सफाई अंतराल के संबंध में तरल गहराई (m)	
			2 साल	3 साल
50	5.0	2.00	1.0	1.24
100	7.5	2.65	1.0	1.24
150	10.0	3.00	1.0	1.24
200	12.0	3.30	1.0	1.24
300	15.0	4.00	1.0	1.24


नोट:

- a) सेप्टिक टैंक के डिजाइन में कम से कम 300 मि.मी. (mm) का एक फ्रीबोर्ड (freeboard) शामिल होना चाहिए।
b) सेप्टिक टैंक का आकार IS:2470 (part 1) से अनुमानित पीक डिस्चार्ज की मान्यताओं पर आधारित है और सेप्टिक टैंक के आकार का चयन करते समय सटीक गणना की जाएगी।
c) 100 से अधिक की आबादी के लिए, टैंक को, रखरखाव और सफाई के लिए, स्वतंत्र समानांतर कक्षों में विभाजित किया जा सकता है।

iii. निर्माण विवरण

सेप्टिक टैंक का निर्माण करते समय निम्नलिखित विवरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए

- सेप्टिक टैंकों का निर्माण ईंट के काम, पत्थर की चिनाई या कंक्रीट के इन-सीटू या प्री-कास्ट सामग्रियों से किया जा सकता है। एस्वेस्टस सीमेंट / एच डी पी ई(HDPE) जैसी सामग्रियों से बने प्री-कास्ट टैंक का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बशर्ते वेपन रोक हों और स्थिर धरती(static earth) और सुपरिम्पोज्ड लोड(superimposed loads) को संभालने और स्थापित करने में पर्याप्त ताकत रखते हों।
- सभी सेप्टिक टैंक पर्याप्त शक्ति के पनरोक कवर के साथ प्रदान किए जाएंगे। टैंक के निरीक्षण और खाली करने के लिए पर्याप्त एक्सेस मैनहोल(न्यूनतम दो, अधिक लंबी दिशा की विपरीत छोरों पर एक-एक) भी प्रदान किए जाएंगे।
- टैंक का फर्श सीमेंट कंक्रीट का होना चाहिए और स्लज आउटलेट की ओर ढलान वाला होना चाहिए। सतहों को चिकना करने और उन्हें पनरोक करने के लिए फर्श और साइड की दीवार दोनों को सीमेंट मोर्टार से प्लास्टर किया जाएगा।
- टैंक के इनलेट और आउटलेट को एक-दूसरे से यथासंभव दूर और विभिन्न स्तरों पर स्थित होना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें उन स्तरों पर स्थित नहीं होना चाहिए जहां स्लज या मैल(sludge or scum) का निर्माण होता है।
- आउटलेट पाइप के इनवर्ट को इनलेट पाइप के इनवर्ट के स्तर से 5-7 cm के नीचे रखा जाना चाहिए।
- इनलेट और आउटलेट दोनों पर बाफ्ल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और 25 cm से 30 cm तरल में डुबना चाहिए और तरल से 15 cm ऊपर रहना चाहिए। बफ्ल्स को सीधे इनलेट पाइप के मुंह से टैंक की लंबाई के एक-पांचवें हिस्से की दूरी पर रखा जाना चाहिए।
- बड़ी क्षमताओं के लिए, इनलेट से टैंक की लंबाई की दो-तिहाई की दूरी पर विभाजन-दीवार के साथ निर्मित दो-कम्पार्टमेंट टैंक उचित होगाये दो कम्पार्टमेंट को स्लज भंडारण स्तर से ऊपर परस्पर जुड़ा होना चाहिए, पाइप या चौकोर उद्घाटन के माध्यम से, जिसका व्यास या साइड लंबाई 75 mm से कम नहीं है।
- प्रत्येक सेप्टिक टैंक को वेंटिलेशन पाइप के साथ प्रदान किया जाना चाहिए, शीर्ष एक उपयुक्त मच्छर प्रूफ वायरमेष के साथ कवर किया जा रहा है। पाइप की ऊंचाई 20 मीटर के दायरे में उच्चतम इमारत के शीर्ष से कम से कम 2 मीटर ऊपर होनी चाहिए।



SECTION XX

ALL DIMENSIONS IN mm

Figure F-1: Typical sketch of two compartment septic tank for populations over 50 as per IS:2470 (Part 1), 1985

(गणेश सिंह सुयाल)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत भीमताल

(देवेन्द्र सिंह चनौतिया)
अध्यक्ष
नगर पंचायत भीमताल